कार्यालय उ0प्र0 सूचना आयोग, RTI भवन, विभूति खण्ड, लखनऊ

पत्रांक 172/उ0प्र0सू0आ0/रजिस्ट्रार/1(1)/2019 दिनांक:24 :सितम्बर:2021

कार्यालय आदेश

सामान्यतः उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में शिकायतों/द्वितीय अपीलों की संवीक्षा करते समय यह यह तथ्य संज्ञान में आया है कि शिकायतकर्ता/अपीलकर्ता को कुछ विधिक बिन्दुओं की जानकारी का अभाव रहता है एवं इस कारण उनके द्वारा प्रस्तुत शिकायत/द्वितीय अपील में त्रुटियॉ परिलक्षित होती हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–18 के तहत आयोग में शिकायत एवं धारा 19(3) के तहत आयोग में द्वितीय अपील का प्रावधान है। परन्तु आवेदकों को यह स्पष्ट जानकारी नहीं होती कि किन विषयों पर आयोग में शिकायत एवं किन विषयों पर आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य बनाम मणिपुर राज्य एवं अन्य ए0आई0आर0 2012(एस0सी0) 864 में इस आशय की विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि धारा–18 के अन्तर्गत् शिकायत एवं धारा–19(3) के अन्तर्गत् प्रस्तुत द्वितीय अपील की प्रकृति भिन्न–भिन्न है, तथा सूचना आयोग द्वारा धारा–18 के अन्तर्गत् शिकायतकर्ता को सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, बल्कि सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का आदेश अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत् योजित द्वितीय अपील में ही पारित किया जा सकता है। इसके बावजूद शिकायतकर्ता द्वारा धारा–18 के अन्तर्गत् शिकायत प्रस्तुत करते हुए अपनी शिकायत में सूचनाओं की मॉग की जाती है, जबकि उक्त अनुतोष मा0 उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था के अनुसार शिकायत के प्रकरणों में देय नहीं है।

इसी प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–19(8)(ख) में क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का प्रावधान है, तथा उक्त क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का प्रावधान धारा–19 में अपील शीर्षक के अन्तर्गत् उल्लिखित है तथा धारा–18 के अन्तर्गत् शिकायत प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी भारत संघ बनाम पी0 के0 श्रीवास्तव

(MANU/DE/1132/2013) में अभिनिर्धारित किया गया है कि सूचना आयोग शिकायत के प्रकरण में क्षतिपूर्ति का अनुतोष प्रदान नहीं कर सकता है, वरन् क्षतिपूर्ति का अनुतोष मात्र द्वितीय अपील में ही प्रदत्त किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता द्वारा धारा–18 के अन्तर्गत् शिकायत प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में भी क्षतिपूर्ति की मॉग की जाती है, जबकि अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत् यह अनुतोष केवल द्वितीय अपील के प्रकरणों में ही उपलब्ध कराया जा सकता है।

ऐसे में आयोग के समक्ष उपस्थित होने वाले आवेदकों द्वारा शिकायत के प्रकरणों में ऐसे अनुतोष की मॉग की जाती है, जो उन्हें शिकायत के प्रकरणों में दिलाया जाना सम्भव ही नहीं होता। यदि ऐसे प्रकरणों में सुनवाई की जाती है, तब अंतिम निस्तारण के समय वॉछित अनुतोष शिकायतकर्ता को दिलाया जाना उपरोक्त उपबन्धों के कारण सम्भव नहीं हो पाता है।

अतएव यह आवश्यक है कि संवीक्षा के स्तर पर ही द्वितीय अपील/शिकायत में आने वाली उपरोक्त त्रुटियों की जॉच की जाय तथा उपरोक्त त्रुटि पाये जाने पर द्वितीय अपील/शिकायत सम्बन्धित पक्षकार को त्रुटि निवारण हेतु वापस कर दी जाए, जिससे कि आवेदक को प्रारम्भिक स्तर पर ही जानकारी हो जाये कि जो अनुतोष वह पाना चाहता है, उसे वह अनुतोष किस प्रकिया के माध्यम से प्राप्त होगा।

जिन प्रकरणों में आवेदक के आवेदन में स्वतः यह स्पष्ट नहीं होता है कि वह प्रकरण में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर रहा है अथवा शिकायत, ऐसी दशा में प्रकरण को द्वितीय अपील के रूप में स्वीकार किया जाना इस कारण न्यायोचित है, क्योंकि द्वितीय अपील में ही अधिकतम अनुतोष आयोग द्वारा आवेदक को प्रदान किये जा सकते हैं तथा धारा–18 के अन्तर्गत् शिकायत में आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत् संवीक्षा के कार्य हेतु निम्न व्यवस्था की जाती है:–

1) जहॉ आवेदन से यह स्पष्ट नहीं है कि वह धारा–18 के अन्तर्गत् शिकायत है अथवा धारा 19(3) के अन्तर्गत् द्वितीय अपील, वहॉ संवीक्षा पटल के कर्मचारियों के द्वारा आवेदन की संवीक्षा इस प्रकार की जाएगी कि प्रस्तुत आवेदन "**द्वितीय अपील**" है।
2) यदि आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र को शिकायत होना कहा है अथवा धारा–18 के अन्तर्गत् देना कहा है, किन्तु उसके द्वारा सूचना अथवा क्षतिपूर्ति अथवा दोनों की मॉग

की गयी है तो ऐसे प्रार्थना–पत्र को द्वितीय अपील माना जाएगा एवं द्वितीय अपील मानते हुए ही उसकी संवीक्षा की जाएगी।

यह कार्यालय आदेश मा० मुख्य सूचना आयुक्त के अनुमोदनोंपरान्त जारी किया जा रहा है एवं तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

24/9/24

(प्रशान्त बिलगैयाँ)
रजिस्ट्रार

1) प्रतिलिपि निजी सचिव, मा० राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को इस आशय से कि वह मा० राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
2) प्रतिलिपि निजी सचिव, मा० राज्य सूचना आयुक्तगण को इस आशय से कि वह मा० राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
3) सचिव, उ०प्र० सूचना आयोग।
4) संयुक्त रजिस्ट्रार, उ०प्र० सूचना आयोग।
5) उप सचिव, उ०प्र० सूचना आयोग।
6) प्रशासनिक/जन सूचना अधिकारी, उ०प्र०सूचना आयोग।
शोध अधिकारीगण, उ०प्र० सूचना आयोग।
7) संवीक्षा पटल के कर्मचारीगण को अनुपालनार्थ।

Ankur Garg
24/9/24

(अंकुर गर्ग)
संयुक्त रजिस्ट्रार

शिकायत/अपील परीक्षण टिप्पणी

'हाँ/नहीं में से जो लागू न हो वह काट दें।'

1.	क्या शिकायत/अपील पर शिकायतकर्ता/अपीलकर्ता के हस्ताक्षर है?	हाँ / नहीं
2.	क्या शिकायत/अपील पठनीय है?	हाँ / नहीं
3.	क्या द्वितीय अपील/शिकायत में संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में है?	हाँ / नहीं
4.	क्या अपील/शिकायत मय संलग्नक मानक आकार के पेपर पर स्वच्छ हस्तलिखित या टाइप शुदा है?	हाँ / नहीं
5.	क्या शिकायत/अपील उत्तर प्रदेश सूचना आयोग को सम्बोधित है?	हाँ / नहीं
6.	क्या शिकायत/अपील उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के क्षेत्राधिकार की है?	हाँ / नहीं
7.	क्या शिकायत/अपील के साथ अधिनियम की धारा 6(1) तहत प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र की प्रति संलग्न है? यदि हाँ तो धारा 6(1) के आवेदन का दिनांक	हाँ / नहीं
8.	क्या जनसूचना अधिकारी का पदनाम तथा पता अधूरा/अस्पष्ट/गलत है?	हाँ / नहीं
9.	क्या अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र में सूचना न मांगकर अन्य किसी कार्यवाही की प्रार्थना की गयी है?	हाँ / नहीं
10.	(अ) क्या यह शिकायत/अपील जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में कोई आदेश पारित न किए जाने के कारण दायर की गयी है?	हाँ / नहीं
	(ब) यदि शिकायत /अपील जनसूचना अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध होकर दायर की गयी है तो क्या जनसूचना अधिकारी के आदेश की प्रति संलग्न की गयी है?	हाँ / नहीं
11.	क्या अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत प्रस्तुत दो या दो से अधिक आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में यह केवल एक शिकायत /अपील प्रस्तुत की गयी है?	हाँ / नहीं
12.	क्या आयोग के समक्ष अधिनियम की धारा 19 (3) के तहत प्रस्तुत द्वितीय अपील के साथ, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 19 (1) तहत दायर की गयी प्रथम अपील की प्रति संलग्न की गयी है? यदि हाँ तो प्रथम अपील का दिनांक	हाँ / नहीं
13.	(अ) क्या यह द्वितीय अपील, अपीलकर्ता की प्रथम अपील पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में कोई आदेश पारित न किये जाने के कारण दायर की गई है?	हाँ / नहीं
	(ब) यदि अपीलकर्ता ने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध होकर आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दायर की है, तो क्या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है? यदि हाँ तो उक्त आदेश का दिनांक.....	हाँ / नहीं

14. क्या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर किये जाने की तिथि से 45 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दायर की गयी है? हाँ / नहीं
15. क्या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम तथा पता अधूरा /अस्पष्ट/ गलत है? हाँ / नहीं
16. क्या द्वितीय अपील / शिकायत की मूल प्रति संलग्न है? हाँ / नहीं
17. क्या अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा प्रावधानित अनुतोष न मांगकर किसी अन्य अनुतोष की मांग की है? हाँ / नहीं
18. क्या सूचना प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत अनुरोध में 500 से अधिक शब्द है ? हाँ / नहीं
19. क्या प्रथम अपील नियत अवधि से पूर्व दायर की गई है ? हाँ / नहीं
20. यदि द्वितीय अपील कालबाधित है, तो क्या विलम्ब का कारण उल्लिखित है ? हाँ / नहीं
21. क्या शिकायत में सूचना / क्षतिपूर्ति की मांग की गयी है ? हाँ / नहीं
22. क्या इस तथ्य का नियमानुसार सत्यापन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में कोई अन्य द्वितीय अपील / शिकायत प्रस्तुत नहीं की गयी है? हाँ / नहीं

यदि उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई त्रुटि है तो नीचे उल्लेख करें–

.....

.....

परीक्षणकर्ता की संस्तुति

शिकायत/अपील में कोई त्रुटि नहीं है तथा यह पंजीकरण करने योग्य है। इसको सुनवाई कक्ष संख्या ..... को भेजा जाये।

अथवा

शिकायत/अपील में उपर्युक्त अंकित त्रुटियाँ है तथा इन त्रुटियों का उल्लेख करते हुए इसको वापस किया जाये।

अथवा

अपील निर्धारित अवधि के बाद दायर की गयी है।

परीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर

मैंने उपर्युक्त शिकायत / अपील का परीक्षण किया है तथा आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं धारा 19 (1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील (यदि कोई है) तथा धारा 18/19 (3) के तहत प्रस्तुत शिकायत/द्वितीय अपील पर फ्लैग लगा दिये गये है।

परीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर

शिकायत /अपील को पंजीकृत कर सुनवाई कक्ष संख्या .....को भेजा जाये।

अथवा

शिकायत/अपील त्रुटिपूर्ण है। त्रुटियाँ इंगित करते हुए इसे शिकायतकर्ता/अपीलकर्ता को वापस करें।

अथवा

अपील निर्धारित अवधि के बाद दायर की गयी है। अपील को पंजीकृत करते हुए पीठासीन अधिकारी, सुनवाई कक्ष संख्या..... को विलम्ब के बिन्दु पर सुनवाई कर यथोचित निर्णय लेने हेतु भेजा जाये।

शोध अधिकारी
उ० प्र० राज्य सूचना आयोग
लखनऊ

रजिस्ट्रार